राजस्थान सेवा नियम

द्वितीय खंड – परिशिष्ट 1

सेवा नियम के सम्बन्ध में प्रशासनिक निर्देश

सम्पादकीय टिप्पणी:— इस परिशिष्ट में वे प्रशासनिक निर्देश हैं जो राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा पद के भार फौजदारी कार्यवाहियों के दरम्यान राज्य कर्मचारी द्वारा राज्य के भीतर या भारत में या विदेशी सेवा में रहते हुए अपने प्राधिकार से बाहर जाने, स्वीकृति योग्य आकस्मिक अवकाश जिसमें विशेष आकस्मिक अवकाश सम्मिलित है, निरोध quarantine) अवकाश आदि के उपभोग की कार्यवाही करने के विषय में अनुसरणीय हैं।

सेवा नियमों के सम्बन्ध में राज्य सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है :

I. पद का भार

1. जब तक कि किन्हीं विशिष्ट लिखित कारणों से जो लोक हित के होने चाहिये, जिसके आदेश के अधीन स्थानान्तरण हुआ है, वह अनुमति प्रदान नहीं कर दे, अथवा कोई विशिष्ट अन्य स्थान अपेक्षित न कर दे या कोई अन्य आज्ञा नहीं दे दे, तब तक किसी पद का भार उनके मुख्यालय पर ही हस्तान्तरित करना चाहिये, जहां पद-भार से मुक्त करने वाला तथा पद सम्भालने वाला दोनों राज्य कर्मचारी उपस्थित हों।

[1] **राजस्थान सरकार का निर्णय**— राजस्थान सरकार के ध्यान में आया है कि स्थानान्तरण आज्ञा जारी होने पर, भारमुक्त कर्मचारी जिस पद पर स्थानान्तरित हुआ उस पद का चार्ज लेने हेतु कर्त्तव्य पर उपस्थित होता है लेकिन किसी कारणवश, कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष या राज्य कर्मचारी जिसे भारमुक्त किया जाना है, जानबूझकर चार्ज हस्तान्तरण करने में विलम्ब करता है।

इस मामले पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि स्थानान्तरण आज्ञा प्राप्त होने पर जैसे ही भार ग्रहण करने वाला कर्मचारी उपस्थित होवे शीघ्र ही भार हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिये। यदि किसी प्रकार का भार हस्तांतरित करने में जानबूझकर विलम्ब किया जाता है तो भार ग्रहण करने वाला कर्मचारी उस पद का भार-ग्रहण करेगा और ऐसा होने के फलस्वरूप भारमुक्त हुआ कर्मचारी उस समय तक असाधारण अवकाश पर माना जावेगा जब तक कि उसे संवेतन अवकाश, जो उसे देय हो, उस दिन से जब से भारमुक्त करने वाले अधिकारी द्वारा भारग्रहण किया जाकर भारमुक्त किया गया हो, से सक्षम अधिकारी, द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया हो।

[2] **राजस्थान सरकार के निर्देश**—उपरोक्त वित्त विभाग निर्णय दिनांक 7-11-1969 में ये निर्देश दिए गए थे कि यह निश्चय किया जावे कि जैसे ही भारमुक्त कर्ता अधिकारी भार ग्रहण करने हेतु उपस्थित हो उसके शीघ्र ही हस्तान्तरण आज्ञा की पालना आवश्यक हो। महालेखाकार द्वारा यह तथ्य राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि इन निर्देशों की पालना उचित प्रकार से नहीं की जाती। राज्य सरकार इस अवज्ञा को गम्भीरता से लेती है और निम्न अग्रिम निर्देश प्रसारित करती है जेनकी पालना कठोरता से की जावे—

(i) भारमुक्त होने वाला राज्य कर्मचारी जैसे ही भार ग्रहण करे, शीघ्र ही अपने भार ग्रहण की सूचना भार मुक्त होने वाले कर्मचारी के नाम दर्शित करते हुए कोषागार अधिकारी और नियंत्रित अधिकारी को करेगा।

(ii) उक्त सूचना प्राप्त न होने पर, नियन्त्रण अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कोषागार अधिकारी को यह लिखा जाना चाहिये कि उस अधिकारी का जिसने भार संभालने में परिहार्य (avoid) किया और जिसे इन परिस्थितियों के कारण भारमुक्त समझा जावे, भुगतान रोका जावे और इस प्रकार लिखे गए पत्र की प्रतिलिपि महालेखाकार राजस्थान को भी प्रेषित की जावे।

(iii) इस प्रश्न का कि भार सम्भालने में आशयित (intentional) विलम्ब हुआ है या कि राज्य कर्मचारी ने भार सम्भालने में परिहार्य किया है कि उसे इन परिस्थितियों में भारमुक्त समझा जावे, यह

---

1. वित्त विभाग ज्ञापन सं. एफ. 1 (72) वि.वि. (नियम)/69 दिनांक 7-11-1969 द्वारा निविष्ट।
2. वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक एफ. 1(72) वित्त (नियम)/ 69 दिनांक 15-7-70 से निविष्ट।

Scanned by CamScanner

निश्चय वह अधिकारी करेगा जो कि स्थानान्तरण आज्ञा देने में सक्षम हो, और वह सक्षम अधिकारी उस विलम्ब अवधि का जिस दिन से कर्मचारी ने पद भार ग्रहण किया था, अवकाश स्वीकृत कर जहां आवश्यक हो, नियमन करेगा।

2. नियम की यह शर्त कि पद भार ग्रहण कर्ता तथा पद भार से मुक्त होने वाले दोनों राज्य कर्मचारी उपस्थित होने चाहिये, उन राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रभावी करना आवश्यक नहीं है जिनको दीर्घावकाश (वेकेशन) के साथ अवकाश जोड़ने की अनुमति दे दी गई हो। ऐसे मामलों में निम्नलिखित प्रणाली का अनुसरण होना चाहिए :

(क) जब कि दीर्घावकाश अवकाश से पूर्व जोड़ा गया हो तो बाह्यगमन करने वाला राज्य कर्मचारी मुख्यालय छोड़ने से पहले रिपोर्ट करेगा अथवा यदि अत्यावश्यक कारणों से अवकाश दीर्घावकाश (वेकेशन) में स्वीकृत हुआ हो तो अवकाश स्वीकृत होते ही अपना पद भार दीर्घावकाश (वेकेशन) के अन्त से प्रभावशील, हस्तान्तरित करेगा। तत्पश्चात् पद मुक्त करने वाला राज्य कर्मचारी दीर्घावकाश का अन्त होने पर पद सामान्य रूप से सम्भाल लेगा।

(ख) जब कि दीर्घावकाश अवकाश के साथ जोड़ी गई हो, पद भार से मुक्त होने वाला राज्य कर्मचारी दीर्घावकाश से पूर्व सामान्य रूप से पद भार हस्तांतरित करेगा, आने वाला राज्य कर्मचारी दीर्घावकाश समाप्ति पर वापस लौटने पर, दीर्घावकाश (वेकेशन) के आरम्भ से पदभार ग्रहण कर लेगा।

[1] **सरकारी निर्णय**—एक प्रश्न यह उठाया गया है कि क्या राजपत्रित अधिकारी के पद ग्रहण करने/हस्तान्तरित करने की चार्ज रिपोर्ट पर उच्चतर प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पर विचार किया गया और निर्णय किया गया है कि निकटतम उच्च अधिकारी का प्रतिहस्ताक्षर केवल तभी आवश्यक होता है जबकि कोई अधिकारी पद हस्तांतरित करता हो या ग्रहण करता हो और ऐसा कोई अधिकारी नहीं हो जिसको वह पद हस्तांतरित करे या जिससे वह पद ग्रहण करे।

3. सामान्यतया किसी विशेष मामलों में किसी विशेष प्रतिकूल आज्ञा के, अधीनस्थ राज्य कर्मचारी वर्ग से सरकारी कर्मचारियों, उदाहरणार्थ शासन सचिव या राजकीय सचिवालय के लिपिक का मुख्यालय, जिस सरकार से वह संलग्न है उसका तत्समय मुख्यालय जहां स्थित हो उसी स्थान पर होगा। किसी अन्य राजकीय कर्मचारी का मुख्यालय वह स्थान होगा जो उनको नियुक्त करने वाला प्राधिकारी मुख्यालय नहीं घोषित करे, अथवा ऐसी घोषणा के अभाव में वह स्थान जहां उसके कार्यालय के अभिलेख रखे जाते हों।

क्षेत्राधिकार छोड़ना

4. सिवाय पुलिस अधिकारी के, जो अपनी विधिवत् शक्तियों के अन्तर्गत कार्य कर रहा हो, कोई अन्य राज्य कर्मचारी उस काल के लिए वेतन भत्ता पाने का अधिकारी नहीं होगा जिस समय कि उसने बिना उचित प्राधिकार के अपने पद की सीमा से बाहर व्यतीत किया हो।

5. कोई सक्षम प्राधिकारी, अपने नियन्त्रण में कार्य कर रहे किसी राज्य कर्मचारी को, कर्तव्यपालन के अन्तर्गत चाहे उसके क्षेत्राधिकार में हो या उसके बाहर, भारत के किसी भाग में या भारत में स्थित किसी विदेशी उपनिवेश में, जाने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

6. इस नियम के अधीन जिस राज्य कर्मचारी को किसी स्थान पर जाने की अनुमति दी गई हो, वह कर्मचारी इतना अभिलेख अपने साथ ले जा सकेगा जितना कि उसके दक्षतापूर्ण कर्तव्यपालन हेतु नितान्त आवश्यक हो।

7. कोई नियंत्रण अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्य करने वाले किसी राज्य कर्मचारी को कर्तव्यपालन में राजस्थान क्षेत्र के किसी भी भाग में अथवा नियन्त्रण अधिकारी के क्षेत्राधिकार में जुड़ते हुए किसी विदेशी व्यवस्थापन में जाने को तथा यात्रा भत्ता उठाने की अनुमति दे सकेगा।

---

1. ज्ञापन पी.यू. सी. सं. 2487 एफ 7 ए (44) एफ.डी.ए./रूल्स/57 दिनांक 20-5-58 द्वारा निविष्ट।

Scanned by CamScanner